

दिनांक

25-4-23 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
 कैम्प- कोर्टडी में प्रशासकी प्रार्थी स्वयं
 उपस्थित। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना-पत्र
 को आगे नहीं चलाने के आधार पर
 नोटिस करने का उक्त प्रार्थना-पत्र पर किया।
 चूंकि मूलवाद को नोटिस में खारिज
 किया जा चुका है अतः उक्त प्रकरण में
 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से
 प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया
 जात है।
 पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर
 से कम हो।



महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
 के संग अभियान 2023 में पारित

25.4.23
 शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़, जिला अजमेर
 महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
 के संग अभियान 2023

